

आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अनिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु साहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी साहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती परसुत लिपिकीय त्रुटि सुधार की रांशा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती परस्पर साहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अनिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अनिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज			
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	गुलाम फरीद कद रसूल खान वॉ. शोरानी सा. देह जालेदार शेष बदस्तुर रक्तांनी	169	19.08	गुलाम मोहम्मद कद रसूल खान वॉ. शोरानी सा. देह जालेदार शेष बदस्तुर जालानी	169	19.08

क्रमांक : 733

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।


उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (गौर)

दिनांक : 19/12/19

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रथगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना